न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या		निर्णय दिनांक
39 / 2023—वाद पत्र	दायर दिनांक 06.06.2023	28.02.2024

उनवान

1— मु. गांगा उर्फ गंगा पत्नी सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
2— चन्दा उर्फ रामचन्द्र पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
3— देबी पुत्र छीतर गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
4— प्यारा पिता सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
5— मूला पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
6— लवकुश उर्फ दिलकुश पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा

—वादीगण

बनाम

1— मगना पुत्र छीतर गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
2— तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
3— उपपंजीयक शाहपुरा जिला शाहपुरा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री योगेन्द्र सिंह भाटी : अभिभाषक वादीगण

वाद पत्र : बाबत बंटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन अन्तर्गत धारा 53 — 188 आर0टी0ए0

—:: निर्णय ::—

वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत बटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :—

ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा में खसरा सं. 767 रकबा 0.51 है0 वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 01 वादीगणा भाई व बड़े पिता होकर एक ही परिवार के सदस्य है। सोनाथ की मृत्यु हो चुकी है। वादी सं. 01 लगायत 02 व 04 लगायत 06 सोनाथ के वारिसान है। सभी के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं सभी बालिग हो चुके है। वादीगण सं. 2, 4, 5, 6 सोनाथ की सन्ताने है। वादी सं. 01 सोनाथ की धर्म पत्नी है। एक ही परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी मगना प्रतिवादी सं. 01 मौके पर आये दिन झगड़ा करता है और वादीगण को उनके कब्जे काश्त में बाधा कारित करता है। विधिक रूप से पेरा सं. 01 में वर्णित आराजियात का बंटवाडा नहीं हुआ है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को तहत भी खातेदारान काश्तकार को अन्य अनेक योजनाओं को लाभ मिलता है। जो वादीगणों को बंटवाडत्रा नहीं होने की वजह से खाता अलग अलग नहीं होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है। वादीगण पेरा सं. 01 में वर्णित आराजियात का विधि अनुसार प्रत्येक इन्च कृषि भूमि के प्रत्येक हिस्से पर अपना हक हिस्सा रखते है इसलिए अपनी पेरा सं. 01 में वर्णित आराजियात में स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण अपनी उक्त कृषि आराजियात को ओर अधिक उपजाऊ बनाना चाहते किन्तु नहीं बना पा रहे है इसलिये भी वादीगण प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध बंटवाड़ा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 02 लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। पेरा सं. 01 में वर्णित आराजियात को प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/3 हिस्से को जो वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में है और विधि अनुसार बंटवाड़ा नहीं हुआ है इसलिए किसी अन्य को विक्रय करने एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने व रजिस्ट्री कराने पर आमदा है जिसे रोके जाने के लिये वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलाया जाना न्याहित में आवश्यक है। अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

SCAN AnyScanner

में स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा सं. 01 में वर्णित आराजियात खसरा सं. 767 को प्रतिवादी सं. 1 किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण, हक त्याग, विक्रय बंधक दान, रहन इत्यादी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं करे न करावे तथा वादीगण के पेरा सं. 01 में वर्णित आराजियात खसरा सं. 767 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा स्वयं प्रतिवादी सं. 01 उत्पन्न नहीं करे न ही परिवार के सदस्यों, नौकरों एजेन्टों आदि से भी बाधा कारित नहीं करे व न करावे। साथ ही वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा आराजियात की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा सं. 1 में वर्णित खसरा सं. 767 को वादीगण के हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा अलग से दर्ज करते हुए जमाबंदी राजस्व रेकार्ड खाता अलग किये जाने की डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी सं. 01 का 1/3 हिस्सा वादीगण के हिस्से से अलग किया जावे। वादीगण सं. 01 से 06 व प्रतिवादीगण सं. 01 का अलग अलग खाता बंटवाड़ा की डिक्री द्वारा किया जावे जिसकी पालना प्रतिवादी सं. 02 से करायी जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 02.08.2023 को प्रतिवादीगण सं. 01, 03 उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं प्रतिवादीगण सं. 02 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राज्यहित प्रभावित नहीं होने से जवाब अपेक्षति नहीं होना बताया गया जिससे उनका जवाब बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्या वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 11.10.2023 को वादी सं. 03 देबी स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 02.01.2024 को वदीगण सं. 1, 2 स्वयं उपस्थित हुए एवं साक्ष्य के रूप में स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श लगाये गये। प्रकरण वास्ते अंतिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 28.02.2024 को प्रकण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण के हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराया जाकर बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री जारा कराये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं प्रकरण तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। राजस्व अभिलेख प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 767 रकबा 0.5100 है0 में वादीगण 1 लगायत 2 एवं 4 लगायत 6 का 1/15 हिस्सा एवं वादी सं. 03 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत बाबत बंटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन अन्तर्गत धारा 53 — 188 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 767 रकबा 0.5100 है0 में वादीगण के हक हिस्से अनुसार एवं प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से को अलग कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कब्जे को ध्यान में रखते हुए किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/— रूपये कमीशन फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादी से प्राप्त करें। बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्राथमिक डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6 व 7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

[illegible]

1— मु. गांगा उर्फ गंगा पत्नी सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
2— चन्दा उर्फ रामचन्द्र पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
3— देवी पुत्र छीतर गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
4— प्यारा पिता सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
5— मूला पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
6— लवकुश उर्फ दिलकुश पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा

—वादीगण

बनाम

1— भगना पुत्र छीतर गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा
2— तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
3— उपपंजीयक शाहपुरा जिला शाहपुरा

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत बंटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन
अन्तर्गत धारा 53 — 188 आर0टी0ए0

मुकदमा नम्बर 39 सन् 2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :—

वाके ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 767 रकबा 0.5100 है0 में वादीगण के हक हिस्से अनुसार एवं प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्से को अलग कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कब्जे को ध्यान में रखते हुए किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/— रूपये कमीशन फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादी से प्राप्त करें। बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें।

निज मुर्बलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमे मे सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 28 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1– मु. गांगा उर्फ गंगा पत्नी सोनाथ गाडरी निवासी तहनाल गाडरी खेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2– चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

3– देबी पुत्र छीतर गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

4– प्यारा पिता सोनाथ गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

5– मूला पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

6– लवकुश उर्फ दिलकुश पुत्र सोनाथ गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादीगण

बनाम

1– मगना पुत्र छीतर गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

3– उपपंजीयक शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 39 सन् 2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा वाके ग्राम तहनाल प0ह0 तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 767 रकबा 0.51 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है –

1– वादीगण गंगा पत्नी सोनाथ, नाबालिग चन्द्रा, प्यारा, मूला, लवकुश पुत्र सोनाथ गाडरी सरपरस्त माता गंगा पत्नी सोनाथ गाडरी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	767 में से	0.1640 है0	बा0 ।।	0.82

2– वादीगण देबी पुत्र छीतर गाडरी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज किया जावे–

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	767 में से	0.1640 है0	बा0 ।।	0.82

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

SCAN AnyScanner

3– प्रतिवादीगण मगना पुत्र छीतर गाडरी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे–

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	767 में से	0.1640 है0	बा0 ।।	0.82

4– शामलाती दर्ज की जावे – वादीगण एवं प्रतिवादीगण गंगा पत्नी सोनाथ 1/5 ना0बा0 चन्द्रा, प्यारा, मूला, लवकुश पिता सोनाथ गाडरी सरपरस्त माता 4/5, देबी, मगना पिता छीतर 2/3 गाडरी, सा0देह खातेदार के शमालाती दर्ज की जावे–

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	767 में से	0.0180 है0	बा0 ।।	0.09

उपरोक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज एवं नक्शें मे तरमीम की कार्यवाही करें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 06 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)